


RCMS-2020/02096  
 न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:- 50 / 2020

तारीखरजू:- 14.7.2020

उनवान:- रुरु बनाम जगदीश वगै०

दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम
14-7-2020	वादी की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट ने दावा वावत स्थायी निषेधाज्ञा 188 आर टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्च पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 10.08.2020 को पेश हो।
10-8-20	<p style="text-align: center;">                           उप जिला कलक्टर                          टोडाभीम जिला करौली                     </p> <p> <del>वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित एवं डी.एन.ए. (वकालतनामा) पेश किया। जब पेश करने दिनांक 7.9.20 को पेश हो।</del> </p>
7-9-20	<p>                         कोठान के कारण जगदलपेशी से पैश डुई                          वकूलाय अस्थित/पीठासन अधिकारी <del>पेश</del>                          पेश है। अतः पत्रावली गतानुसार                          दिनांक <del>5-10-20</del> को पेश हो।                     </p>
5-10-20	<p>                         वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित                          पीठासीन अधिकारी <del>क.रौली.प्र.दोर.ड</del>                          पत्रावली गतानुसार दिनांक <del>9-11-20</del>                          को पेश हो।                     </p>
9-11-20	<p>                         वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित                          पीठासीन अधिकारी <del>ग.र.र. को.द.र. डे.डि.प.न. डे</del>                          पत्रावली गतानुसार दिनांक <del>16-12-20</del>                          को पेश हो।                     </p>
16-12-20	<p>                         वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित                          पीठासीन अधिकारी <del>दु.न.र.ल.र. से उपस्थित डे</del>                          पत्रावली गतानुसार दिनांक <del>2-1-21</del>                          को पेश हो।                     </p>

2600-2601  
 14/7/2020

जगदीश

रुरुगीशम


2020/00096 - क्र. 1/5 जगदीश  
न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला क  
सु. नं 50/20

दिनांक

फर्द अहकाम

29.1.21

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित नहीं  
हैं, कई बार आवाज दिलवाई गई फिर भी  
वकील वादी एवं वादी में से कोई भी उपस्थित  
नहीं ही अतः यह दावा अदम हाजिरी एवं  
अदम पैरवी में खारिज किया जाता है पत्रावली  
फैललुम नुमांर होकर नम्बर से कम होकर दाखिल  
दफतर हो।

  
(दुर्गा प्रसाद मीना)  
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम  
जिला-करौली